

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0-20/2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00036

उनवान -सरकार बनाम पवनकुमार पुत्र राधेश्याम मंगल प्रो0पवनकुमार एण्ड ब्रादर्स अग्रसेन
बाजार बाडी जिला धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -27.08.2020

आज यह पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्कालीन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर हाल अजमेर ने अप्रार्थी श्री पवनकुमार पुत्र राधेश्याम मंगल प्रो0पवनकुमार एण्ड ब्रादर्स अग्रसेन बाजार बाडी जिला धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.07.2019 को अप्रार्थी की दुकान प्रो0पवनकुमार एण्ड ब्रादर्स अग्रसेन बाजार बाडी जिला धौलपुर का निरीक्षण करने के दौरान दुकान में रखे 1-1लीटर के 34 व 500-500एमएल के 69जार वनस्पति (दीप स्पेशल) जो आम जनता को विक्रय करने हेतु रखे थे। अप्रार्थी ने खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं होना जाहिर किया। इसमें मिलावट का शक होने पर उक्त वनस्पति (दीप स्पेशल) में से 1-1 लीटर के 4 जार वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदा गया उक्त वनस्पति (दीप स्पेशल) नमूना डी-1618 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 13.08.2019 के अनुसार उक्त वनस्पति (दीप स्पेशल) सबस्टैण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनर्वृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त वनस्पति (दीप स्पेशल) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी वनस्पति (दीप स्पेशल) सबस्टैण्डर्ड बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री पवनकुमार पुत्र राधेश्याम मंगल प्रो0पवनकुमार एण्ड ब्रादर्स अग्रसेन बाजार बाडी जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 10,000/-रुपये (दस हजाररु0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जाये। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेन्द्र क. वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज.)